

बिहार सरकार
योजना एवं विकास विभाग

पत्रांक: यो007 / मु0क्षे0वि0यो0-39 / 20201285 / यो0वि0, पटना, दिनांक 31 मार्च, 2020

प्रेषक,

सतीश कुमार शर्मा,
अपर सचिव,
योजना एवं विकास विभाग,
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला योजना पदाधिकारी,
बिहार।

विषय: मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत कोरोना वायरस (COVID19) के संबंध में निर्गत विभागीय संकल्प के आलोक में योजनाओं की स्वीकृति।

प्रसंग: विभागीय संकल्प संख्या-1281 दिनांक-27.03.2020

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक विभागीय संकल्प की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत कोरोना वायरस (COVID-19) की रोकथाम एवं उपचार हेतु 50 लाख रुपये की राशि प्रत्येक माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा एवं बिहार विधान परिषद् की वित्तीय वर्ष 2019-20 या 2020-21 की अनुमान्यता के विरुद्ध योजना एवं विकास विभाग द्वारा स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना में सृजित कोरोना उन्मूलन कोष में उपलब्ध करा दी गई है।

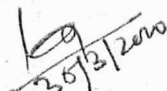
उल्लेखनीय है कि बिहार विधान परिषद् के शिक्षक एवं स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित 8, बिहार विधान सभा कोटे से 9 एवं मनोनीत, 12 सदस्य को मिलाकर कुल 29 माननीय सदस्य की अवधि दिनांक- 6 मई, 2020 को समाप्त हो रही है। एतद् स्थिति में वैसे माननीय सदस्य, बिहार विधान परिषद् जिनकी अवधि 6 मई, 2020 को समाप्त हो रही है एवं मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत जिन्हें वित्तीय वर्ष 2020-21 में कोई राशि अनुमान्य नहीं है के द्वारा अनुशंसित योजनाओं की स्वीकृति के संबंध में कहना है कि चूंकि वैसे माननीय सदस्य, बिहार विधान परिषद् के वर्ष 2019-20 की अनुमान्यता राशि में से कोरोना वायरस (COVID-19) के लिए

16

राशि की कटौती विभाग के स्तर से कर स्वास्थ्य विभाग में सृजित कोराना उन्मूलन कोष में जमा कर दी गई है। अतः ऐसे माननीय सदस्य, बिहार विधान परिषद द्वारा मात्र 2.50 करोड़ तक की अनुशंसित योजनाओं की स्वीकृति दी जाएगी। यदि पूर्व में अधिक राशि की स्वीकृति दी जा चुकी है तो 50 लाख तक की योजनाओं पर कोई कार्य प्रारंभ नहीं कराया जाएगा।

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विश्वासभाजन



(सतीश कुमार शर्मा)

अपर सचिव,

योजना एवं विकास विभाग,
बिहार, पटना

ज्ञापांक : यो007 / मु0क्षे0वि0यो0-39 / 2020 1285 / यो0वि0, पटना, दिनांक 31 मार्च, 2020

प्रतिलिपि : सभी क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक : यो007 / मु0क्षे0वि0यो0-39 / 2020 1285 / यो0वि0, पटना, दिनांक 31 मार्च, 2020

प्रतिलिपि : सभी अधीक्षण अभियंता / सभी कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक : यो007 / मु0क्षे0वि0यो0-39 / 2020 1285 / यो0वि0, पटना, दिनांक 31 मार्च, 2020

प्रतिलिपि : मुख्य अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, विश्वेश्वरैया भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव